न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर
समक्ष एम.के. सिंह
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 388/तीन/2010 विरूद्ध आदेश दिनांक 07.01.2010 पारित द्वारा अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना प्रकरण क्रमांक 266/2007–08 अपील

कोक सिंह पुत्र श्री मान सिंह ठाकुर
निवासी – ग्राम शाहपुर कला हाल सुभाष मार्ग 37/219 केशव कालौनी – मुरैना (म.प्र.)

–– आवेदक

विरूद्ध

शिव सिंह पुत्र श्री खूब सिह ठाकुर
निवासी – ग्राम शाहपुर कला तहसील सवलगढ़ जिला मुरैना (म.प्र.)

–– अनावेदक

श्री एस.पी.धाकड – आवेदक
श्री एस.के.अवस्थी – अनावेदक

आदेश

(आज दिनांक .5../05/2016)

यह निगरानी आवेदक द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के प्रकरण क्रमांक 266/2007–08 अपील में पारित आदेश दिनांक 07.01.2010 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण का सारांश यह है कि तहसील सवलगढ़ के ग्राम शाहपुर कला में स्थित विवादित भूमि कुल किता

4 कुल रकवा 5.08 है0 जोकि कब्जेदार के रूप में खसरा में कोक सिंह पुत्र मानसिंह का नाम इन्द्राज है। को निरस्त कराकर अपने नाम का इन्द्राज कराने बावत् आवेदन शिव सिंह द्वारा संहिता की धारा 115, 116 के अन्तर्गत विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया था। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.11.2007 से विवादित भूमियो पर अधिपत्य धारी के रूप में इन्द्राज किये जाने का आदेश दिया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध कोक सिंह द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी जो पारित आदेश दिनांक 30.06.2008 से आंशिक स्वीकार करते हुये अधिपति कृषक के रूप में लिखी गयी भाषा को निरस्त करते हुये मात्र कब्जा इन्द्राज लिखने तक ही सीमित रखा गया। इस आदेश के विरूद्ध कोक सिंह द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के समक्ष प्रस्तुत की गयी जो पारित आदेश दिनांक 07.01.2010 से अस्वीकार की गयी तत्पश्चात् इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गयी हैं।

3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओ पर उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4– आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा स्थल निरीक्षण किये जाने के पूर्व आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया है और राजस्व अधिकारियो से मिलकर एक पक्षीय जॉच के आधार पर अनावेदक द्वारा आदेश पारित कराया गय है जो निरस्त किये जाने योग्य है। यहकि, इसी भूमि के संबंध में अनावेदक द्वारा दीवानी दावा प्रस्तुत किया है एवं विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया है ऐसी स्थिति में एक ही प्रकार की सहायता दो न्यायालय से प्राप्त नहीं की जा सकती कब्जा संबंधी आदेश पारित करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है उपरोक्त स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयो द्वारा पारित आदेश में कब्जा संबंधी अन्तिम

लाईन निरस्त करने तथा सम्पूर्ण आदेश यथावत् रखे जाने का निवेदन किया गया।

5– अनावेदक की ओर से उपस्थित अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से यह आधार प्रस्तुत किया है कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना द्वारा विधि एवं नियमो के अनुसार आदेश पारित किया है उनका आदेश स्पीकिंग एवं विस्तृत आदेश है जिसमें कानून की विधिवत् विवेचना की गयी है ऐसी स्थिति में उपरोक्त आदेश स्थिर रखे जाने एवं आवेदक की ओर से प्रस्तुत निगरानी बलहीन एवं सारहीन होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

6– उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्को पर विचार करने एवं अधीनस्थ न्यायालयो के आदेशो के अवलोकन से प्रकरण में यह देखना है कि विचारण न्यायालय ने भू–राजस्व संहिता की धारा 168 (1) एवं 169 के प्रावधानो के विपरीत अधिपति कृषक के रूप में इन्द्राज के किये जाने का आदेश दिया है। जबकि आवेदन 115 ,116 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ द्वारा जो आदेश पारित किया है कि तहसील न्यायालय द्वारा अधिपति कृषक के रूप में लिखे जाने वाली इन्द्राज की भाषा को निरस्त करते हुये विवादित भूमि पर अनावेदक का कब्जा होना मान्य किया है ओर इस संबंध में अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा विधिवत् विचार करने के पश्चात् अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.06.2008 विधि सम्मत् माना गया है वर्तमान प्रकरण में आवेदक की ओर से ऐसा कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया जिससे अधीनस्थ अपीली न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जा सके। उपरोक्त प्रकरण में अधीनस्थ अपीली न्यायालयो के समवर्ती निष्कर्ष है ओर ऐसे समवर्ती निष्कर्षों को पुनरीक्षण में निरस्त नहीं किया जा सकता इस संबंध में 1997 आर.एन 258, 1995 आर.एन. 312 एवं 2005 आर.एन 178 में जो न्यायदृष्टांत प्रतिपादित किये गये है वह वर्तमान प्रकरण में लागू होते है। ऐसी स्थिति में

अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयो के निष्कर्षों में हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

7– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.01.2010 एवं अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.06.2008 विधिवत् होने से स्थिर रखे जाते है एवं तहसीलदार तहसील सबलगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 19/04–05/अ–6 में पारित आदेश दिनांक 24.11.2007 स्थिर रखा जाकर वर्तमान निगरानी निरस्त की जाती है।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर